**स्पाइसेस बोर्ड**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

"सुगंधभवन", पालारिवट्टम पी ओ,

कोच्ची-682025

**<u>विधिक काउन्सेल का पैनल तैयार करना</u>**

केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ, दिल्ली उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय कोच्ची, नई दिल्ली आदि के समक्ष स्पाइसेस बोर्ड और उसके पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक काउन्सेल के पैनल तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

प्रैक्टिस करनेवाले अधिवक्ता, पैनल में शामिल होने केलिए पात्र हैं। स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची द्वारा निर्धारित योग्यताएँ, अनुभव और अन्य निबंधन व शर्तें संबंधी विवरण बोर्ड के वेबसाइट www.indianspices.com. में उपलब्ध हैं।

पात्र आवेदक, जीवन-वृत्त और संगत समर्थन दस्तावेज़ों के साथ संलग्न प्रपत्र में अपना आवेदन इस विज्ञापन की तारीख से 30 दिनों के अंदर सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची-682025 के पते पर भेजें।

**निदेशक(प्रशासन)**

**स्पाइसेस बोर्ड में विधिक काउन्सेल के पैनल में शामिल होने केलिए आवेदन प्रपत्र**

फोटो

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) | |
| 2 | जन्म तिथि व आयु (जैसेकि आवेदन की अंतिम तिथि को है) | |
| 3 | पिता का नाम | |
| 4 | टेलीफोन/मोबाइल नं सहित पूरा आवासीय पता | |
| 5 | टेलीफोन/मोबाइल नं व इ-मेइल आईडी सहित कार्यालय का पूरा पता | |
| 6 | शैक्षिक योग्यताएँ (दस्तावेज़ों की छायाप्रतियां संलग्न करना हैं) | |
| 7 | अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तारीख (दस्तावेज़ों की छायाप्रतियाँ संलग्न करें) | |
| 8 | अनुभव-वर्षों में (कृपया उच्च न्यायालय का उल्लेख करें जहां पर नामांकन किया था) | |
| 9 | विशेषज्ञता के क्षेत्र | |
| 10 | क्या पूर्व में केंद्र/राज्य सरकार या उसके संगठन में पैनल वकील /स्थायी काउन्सेल/विधि सलाहकार/के रूप में कार्य किया है (दस्तावेज़ों की | |

| | | |
|---|---|---|
| | छायाप्रतियाँ संलग्न करनी हैं) | |
| 11 | शैक्षिक योग्यता, प्रमुख समाप्त मामलों तथा अन्य कोई संगत जानकारी के बारे में एक छोटा नोट (अलग शीट में) | |

हस्ताक्षर:

नाम :

स्थान :

तारीख:

## पात्रता मानदंड और निबंधन व शर्तें

**क. पात्रता मानदंड**

पैनलबंध काउन्सेल, केरल, मद्रास और मदुरै न्यायपीठ और नई दिल्ली के उच्च न्यायालयों, केरल, नई दिल्ली के श्रम न्यायालयों में सिविल / आपराधिक / सेवा मामलों के संचालन और हैंडलिंग के लिए जिम्मेदार होंगे।

काउन्सेल को सेवा मामलों, श्रम कानूनों, सिविल मामलों, आरटीआई मामलों के बारे में अच्छा जानकार होना चाहिए।

काउन्सेल के पास उच्च न्यायालय में सिविल / आपराधिक / सेवा / संवैधानिक प्रकृति के मामलों के संचालन में नियमित रूप से कम-से-कम 5 वर्षों की अवधि में अधिग्रहीत विधिक अभ्यास का उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कौशल और ज्ञान होना चाहिए।

**ख. निबंधन व शर्तें तथा पैनल में शामिल काउन्सेल केलिए देय पारिश्रमिक:-**

1. काउन्सेल, उसे सौंपे गए मामलों में उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के समक्ष स्पाइसेस बोर्ड और उसके पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करेगा ।
2. काउन्सेल, अदालतों से स्पाइसेस बोर्ड एवं उसके पदाधिकारियों केलिए भेजे जानेवाले नोटिस(सों) को प्राप्त करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि स्पाइसेस बोर्ड के खिलाफ कोई एकपक्षीय आदेश जारी न हो

3. काउन्सेल उसे सौंपे गए मामलों को संभालेगा और अदालतों में ऐसे सौंपे गए मामलों केलिए वह हाजिर होगा/होगी और जब कभी आवश्यक हो, लिखित कथन, आवेदन, उत्तर शपथ-पत्र आदि तैयार करेगा/करेगी
4. काउन्सेल, जब भी पूछा जाता हो, स्पाइसेस बोर्ड को कानूनी राय प्रदान करेगा और स्पाइसेस बोर्ड व उसके पदाधिकारियों की ओर से कानूनी नोटिस का जवाब तैयार करेगा।
5. काउन्सेल, जब भी पूछा जाता हो, विभिन्न अदालतों के समक्ष मामलों के मुकदमों में लिखित पक्षसार (ब्रीफ) और पैरा-वार टिप्पणियाँ तैयार करने में भी मदद करेगा।
6. स्पाइसेस बोर्ड और / या उसके अधिकारियों के खिलाफ कोई भी मामला तय होने पर अपील दाखिल करने की सलाह के बारे में काउंसल राय देगा।
7. काउन्सेल, स्पाइसेस बोर्ड को समय-समय पर मामले के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, विशेषकर प्रारूपण, कागजात दाखिल करने, मामले की सुनवाई की तारीखों, न्यायाधीश के निर्णयों की प्रतियों की आपूर्ति आदि के संबंध में, अवगत कराएगा।
8. काउन्सेल, विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सौंपा जाएगा।
9. पैनल में शामिल होने की अवधि के दौरान काउन्सेल, स्पाइसेस बोर्ड के खिलाफ कोई मामला अपने हाथ में नहीं लेगा।
10. स्पाइसेस बोर्ड के प्रसादानुसार काउन्सेल अपना कार्यालय संभालेगा।
11. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा काउन्सेल को कोई प्रतिधारिता शुल्क, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता या निश्चित टेलीफोन बिल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। समय-समय पर विधिक मामलों के विभाग द्वारा, निर्णय लिए अनुसार उच्च न्यायालय के केंद्रीय सरकार के स्थाई काउन्सेल के लिए लागू फीस संरचना के अनुसार, काउन्सेल को उपस्थिति शुल्क और अन्य शुल्क / व्यय का भुगतान किया जाएगा।
12. पैनल तैयार करने के निबंधन व शर्तों से संबंधित किसी भी संदेह या मतभेद की स्थिति में, स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**ग. पैनल बनाना और काउन्सेल का कार्यकाल**

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

काउंसेलों की संख्या को उसकी आवश्यकता के आधार पर स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

प्रारंभ में तीन वर्षों की अवधि केलिए यह पैनल तैयार किया जाएगा, जिसका, उसके बाद स्पाइसेस बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार काउन्सेल के निष्पादन के अधीन हर वर्ष विस्तार किया जा सकता है।